न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 20/2018

बउनवान

गोपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना (मृतक)
1/1–मदनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना
2/1–मोतीलाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भज
2/2–छीतर पुत्र श्री चतरा उर्फ चतुर्भज जाति–कुम्हार निवासी–माथना
3– रामचन्द पुत्र श्री पन्नालाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना(मृतक)
3/1– मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति–कुम्हार निवासी–माथना तह.बारां
3/2– केदार बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति–कुम्हार निवासी–माथना
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल जिला–बारां
2–चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल
3–प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल
4–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल सं0 2349 दिनांक 28.05.2018 वाके ग्राम–मॉगरोल तहसील–मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री कमलदीप सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 27.02.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि रेस्पोंडेट क्रमांक 1 ता 3 के पिता प्रभूलाल के द्वारा अन्तर्गत धारा, 88,89 आरटीए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के यहॉ एक वाद पेश किया था जिसपर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा दिनांक 2.5.2008 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम मॉगरोल की आराजियात् खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.56 है0 कुल किता दो रकबा 1.03 है0 पर रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ दिनांक 24.5.2018 को अपील पेश की गयी तथा दिनांक 28.6.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा स्टे जारी कर दिया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट क्रम–4 द्वारा तुरन्त हीं अपील की मियाद निकलने से पूर्व हीं मिलीभगत करके उक्त आराजियात् का इन्तकाल रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ता 3 के नाम खोलकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल 2349 खिलाफ कानून एवं पत्रावली के अभिलेख तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:40:16 IST
Reason: SelfAttested

2— अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है। एकपक्षीय कार्यवाहीं करके तुरन्त मिलीभगत से रेस्पों0 का वाद स्वीकार कर, तुरन्त हीं रेस्पों0 क्रमांक 1 ता 3 बिना इजराय प्रस्तुत किये न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी थी जिसमें अपीलांट के पक्ष में स्टे भी जारी कर दिया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के निर्णय व डिक्री की पालना में तुरन्त हीं रेस्पों0 क्रमांक 1 ता 3 ने मिलीभगत कर इन्तकाल खुलवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा खोला गया इन्तकाल क्रमांक 2349 दिनांक 28.5.2018 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त किया जावे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पिता प्रभूलाल जी ने उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के यहॉ धारा, 88,89 आरटीए का दावा प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा दिनांक 2.5.2018 को वादा डिक्री कर, अपीलांट्स के खाते में दर्ज आराजी ख0नं0 1072 रकबा 0.47 है0, 1075 रकबा 0.56 है0 कुल 1.03 है0 वाके ग्राम मॉगरोल को रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट्स ने उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 28.06.2018 को स्टे प्राप्त किया गया। जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल व तहसीलदार, मॉगरोल की दी गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा बिना इजराय प्रस्तुत हुये ही, दावा डिक्री की पालना करने हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये गये। तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा स्टे होने की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेंट की मिलीभगत से उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो इजराय प्रस्तुत करने का मौका दिया ना हीं अपील की मियाद का समय दिया। आनन फानन में तहसीलदार मॉगरोल को इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये। जिसपर तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तत्काल इन्तकाल दर्ज कर दिया है। समस्त कार्यवाहियॉ रेस्पोंडेट की मिलीभगत की गयी है जो विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 2349 दिनांक 28.5.2019 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा उक्त इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल के दावा डिक्री आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:40:16 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 2.5.2018 की पालना में दिनांक 28.05.2018 को खोला गया है। इन्तकाल पूर्णतया विधिसम्मत एवं कानूनी प्रावधानों के तहत हीं दर्ज किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 28.06.2018 को स्टे जारी किया गया है। जबकि इन्तकाल दिनांक 28.05.2018 को हीं दर्ज किया जा चुका है। चूकि उक्त इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के दावा डिक्री आदेश की पालना में खोला गया है तथा अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलांट्स को इन्तकाल की अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इन्तकाल पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी ख0नं0 1072 रकबा 0.47 है0, 1075 रकबा 0.56 है0 कुल 1.03 है0 वाके ग्राम मॉगरोल का उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के यहॉ दावा अन्तर्गत धारा, 88,89 आरटीए का जेरकार रहा है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा दिनांक 02.05.2018 को रेस्पोडेंट के पक्ष में दावा डिक्री कर, प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। जिसके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा तहसीलदार, मॉगरोल को उक्त आदेश की पालना करने हेतु आदेश दिये गये। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा दिनांक 28.05.2018 को रेस्पोडेंट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया गया। अपीलाट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के आदेश दिनांक 02.05.2018 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में अपील प्रस्तुत की गयी तथा जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनााये रखे जाने हेतु दिनांक 28.06.2018 को स्टे जारी किया गया।

6– अपील में अपीलांट्स को मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा का स्टे जारी होने के बावजूद उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 2349 दिनांक 28.05.2018 को दर्ज किया गया है। जबकि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा स्टे दिनांक 28.06.2018 को जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त तस्दीकी इन्तकाल स्टे जारी करने से पूर्व तस्दीक हुआ है। उक्त तस्दीकी इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के वादा डिक्री आदेश की पालना में खोला गया है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत खोला गया है। इन्तकाल में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:40:16 IST
Reason: SelfAttested